अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राज्य का निर्माण नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित कर हुआ था। इसमें 33 जिले[1] हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा भारत और राज्यों के लिए 2011–2036 की जनसंख्या अनुमान के अनुसार इसकी जनसंख्या 3.05 करोड़ है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या 2014 में 2.68 करोड़ से बढ़कर 2024 में 3.05 करोड़ हो गई है, जो 14.06 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करती है। राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) आउटपुट के मूल्य में से उसके मध्यस्थ इनपुट को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शायी गई है ।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
सकल मूल्य वर्धित	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	–1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	–0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
राज्य					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525[प्रा]	4,64,399[त्व]	5,05,887[अ]
सकल राज्य मूल्य वर्धित	3,24,975	3,36,030	3,90,198[प्रा]	4,39,413[त्व]	4,76,423[अ]
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.93	3.40	16.12	12.61	8.42
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,19,066	1,20,113	1,38,256[प्रा]	1,54,609[त्व]	1,66,520[अ]

(स्रोतः एमओएसपीआई प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2024 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)
अ–अग्रिम अनुमान त्व–त्वरित अनुमान प्रा–प्राविधिक अनुमान

[1] 31 मार्च 2024 तक

वर्ष 2023–24 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹5,05,887 करोड़ था और वर्ष 2023–24 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी ₹2,95,35,667 करोड़ थी। इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,66,520 थी, जबकि देश की ₹2,11,725 थी। वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (39.86 प्रतिशत) उसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी (41.23 प्रतिशत) में वृद्धि से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता रहा है । जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है क्योंकि क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है । जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है और की जाती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप जीडीपी में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। इसलिए नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए जीवीए और जीएसवीए आंकड़े की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2019–20 से 2020–21 की अवधि के दौरान जीएसवीए की दर में वृद्धि जीवीए से अधिक थी। जीवीए की तुलना में, जिसमें महामारी प्रभावित वर्ष 2020–21 में आर्थिक मंदी के कारण संकुचन देखा गया था, राज्य के जीएसवीए में 3.40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि, यह 2023–24 में जीएसवीए के लिए देखी गई वृद्धि को पार कर गया।

2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए के प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.1: जीएसडीपी बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर (2019–20 से 2023–24)

(प्रतिशत में)

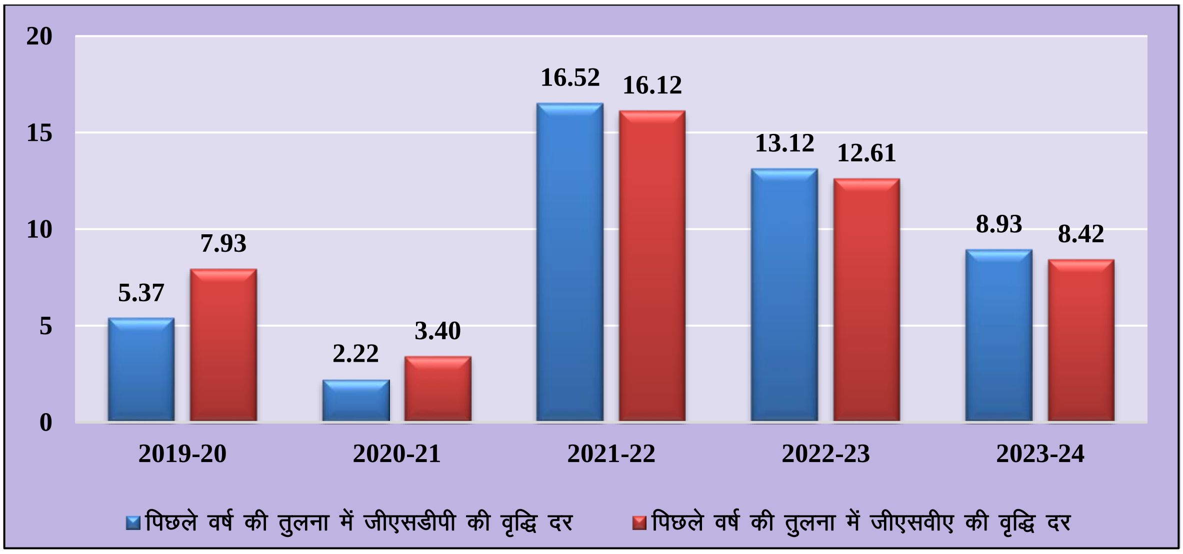

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण (2023–24) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित

किया जाता है, जो कृषि, उद्योग[2] और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मे विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास

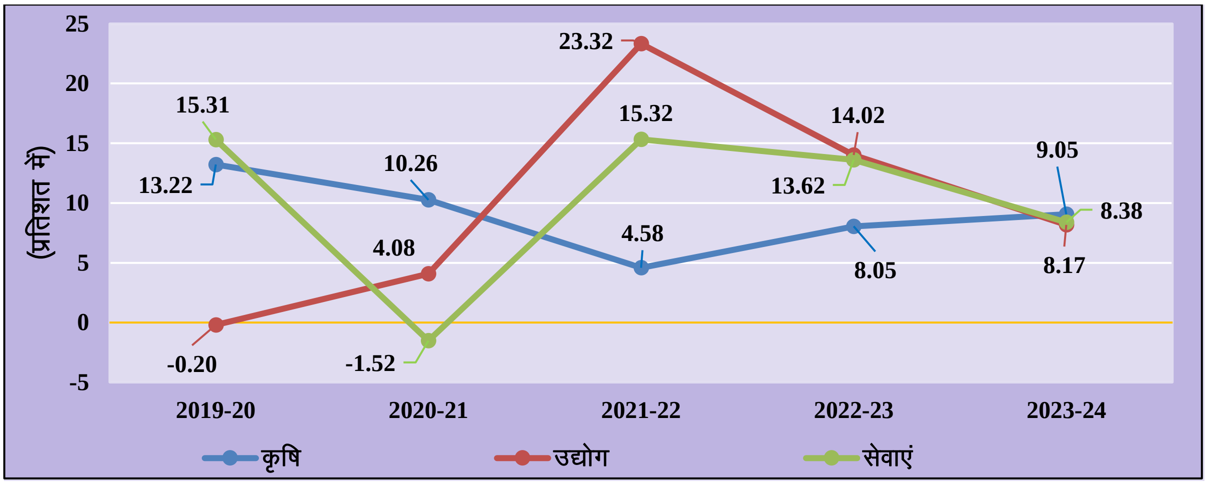

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

चार्ट 1.2 जीएसडीपी की क्षेत्रीय वृद्धि दर को दर्शाता है जो 2019–24 की पांच साल की अवधि में तीनों क्षेत्रों की वृद्धि दर में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उद्योग और सेवाओं की वृद्धि दर 2022–23 की तुलना में 2023–24 में कम थी, जबकि कृषि में वृद्धि 2022–23 की तुलना में अधिक रही। उद्योग में धीमी वृद्धि के लिए खनन और उत्खनन तथा विनिर्माण की वृद्धि दर में कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि सेवाओं में धीमी वृद्धि के लिए व्यापार, होटल और रेस्तरां तथा परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कृषि की दर में वृद्धि के लिए पशुधन की उच्च्य वृद्धि दर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते है। राज्य की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) सीएजी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत कोषागारों, कार्यालयों और ऐसे खातों को रखने के लिए जिम्मेदार विभागों से प्राप्त वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे सालाना तैयार करते हैं। इन लेखो की स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा ऑडिट की जाती है और सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस रिपोर्ट के मुख्य डेटा हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

[2] छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना का हिस्सा तय करते समय खनन और उत्खनन को उद्योग के भाग के रूप में गिना जाता है।

- राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बनता है
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालय से अन्य आंकड़ा (लेखाकंन साथ ही एम.आई.एस);
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पंद्रहवे वित्त आयोग की अनुशंसा, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के संदर्भ में किया गया है ।

1.3 शाासकीय लेखों की संरचना का विहगांवलोकन

शासकीय लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत राज्य शाासन को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शाासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शाासन द्वारा दिये गये ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (प्रभारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (मतदेय व्यय) के लिये मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षो को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शाासन द्वारा या शाासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शाासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। शाासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज़

भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट दस्तावेज का मुख्य घटक है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय को अन्य व्यय से अलग करता/दिखाता है।

राजस्व लेखा प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व तथा संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), करेत्तर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है ।

राजस्व लेखा व्यय में वे समस्त व्यय शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम–काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से सम्बन्धित हो सकते है) आदि व्ययो से संम्बन्धित है ।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैः

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि.:

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है ।

शासकीय लेखें के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची मे दर्शाये गये अनुसार	कार्य–शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप–कार्य	उप–मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु–शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिए	योजना	उप– शीर्ष (दो अंक)
	उप–योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधियॉ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप–क्षेत्र शामिल है। व्यय के लेन–देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेंवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षो मे उप–वर्गीकृत किया गया है। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षो साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते है, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षो के अधीनस्थ लघु शीर्षो द्वारा प्रस्तुत कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए 'कार्यक्रम' की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती है और यह आमतौर पर लघु शीर्षो के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप–शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर मदवार नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है ।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण **चार्ट 1.3** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.3: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण

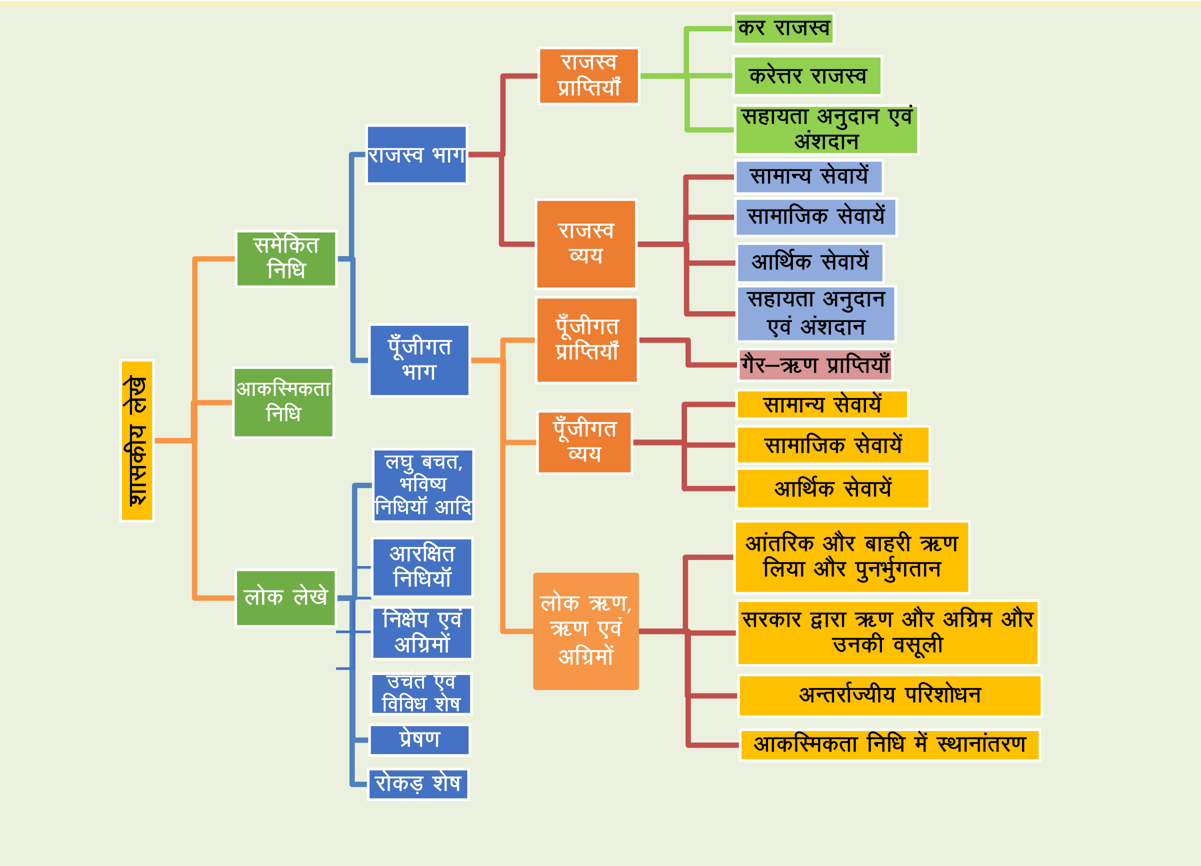

स्रोत : वित्त लेखे

लोक ऋण और लोक लेखा दायित्व: इस रिपोर्ट में, 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है.

इसके अलावा, लोक लेखा के तहत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा करती है। भुगतान की गई राशि. सार्वजनिक खाते के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'सस्पेंस' से संबंधित लेन–देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन जैसे समायोजन प्रमुख शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में, 'लोक लेखा दायित्व' को 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा' के तहत लेनदेन के साथ–साथ प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

1.4 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, उपर्युक्त को अनुदानों/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। वित्त लेखे और विनियोग लेखे एसएफएआर की तैयारी के लिए मुख्य डेटा को शामिल करते हैं। ये लेखे वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2022–23 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	वर्ष 2022–23 (वास्तविक)	वर्ष 2023–24 (बजट अनुमान)	वर्ष 2023–24 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े स.रा. घ.उ का प्रतिशत
1	कर राजस्व	65,480.57	72,800.73	77,268.10	106.14	15.27
(i)	स्वयं के कर राजस्व	33,122.31	38,000.00	38,786.22	102.07	7.67
(ii)	संघीय करों/शुल्कों के अंश	32,358.26	34,800.73	38,481.88	110.58	7.61
2	करेत्तर राजस्व	15,248.24	18,200.00	15,147.97	83.23	2.99
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	13,148.33	15,000.00	11,092.13	73.95	2.19
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**93,877.14**	**1,06,000.73**	**1,03,508.20**	**97.65**	**20.46**
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	117.24	300.00	25.61	8.54	0.01
6	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.6	0.00	5.01	0.00	0.00
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ	10,638.74	15,200.00	54,049.72	283.85	10.68
8	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**10,761.58**	**15,500.00**	**54,080.34**	**279.60**	**10.69**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**1,04,638.72**	**1,21,500.73**	**1,57,588.54**	**125.72**	**31.15**
10	**राजस्व व्यय**	85,285.03	1,02,500.70	1,14,740.96	111.94	22.68
11	ब्याज भुगतान	6,382.08	6,919.87	6,798.34	98.24	1.34
12	पूँजीगत व्यय	13,320.30	18,660.20	15,418.93	82.63	3.05
13	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	85.86	339.35	311.96	91.93	0.06
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**98,691.19**	**1,21,500.25**	**1,30,471.85**	**107.38**	**25.79**
15	**राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (4–10)**	**(+)8,592.11**	**(+)3,500.03**	**(–)11,232.76**	**(–)320.93**	**2.22**
16	**राजकोषीय घाटा {(4+5+6)–14}**	**(–)4,691.21**	**(–)15,199.52**	**(–)26,933.03**	**177.20**	**5.32**
17	**प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–) (16–11)**	**(+)1,690.87**	**(–)8,279.65**	**(–)20,134.69**	**243.18**	**3.98**

18	ऋण–जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	20.16	23.81	24.93	104.70	–
19	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत	13.12	11.24	8.93	79.45	–

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2023–24

बजट 2023–24 में अनुमानित ₹3,500.03 करोड़ के राजस्व आधिक्य के मुकाबले राज्य को ₹11,232.76 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, क्योंकि बजट में अनुमानित ₹1,02,500.70 करोड़ की तुलना में ₹1,14,740.96 करोड़ का राजस्व व्यय हुआ है। उच्च राजस्व व्यय का श्रेय 2023–24 के दौरान अनुपूरक बजट के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं यानी कृषक उन्नति योजना (₹13,320.58 करोड़) और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (₹1,398.31 करोड़) के तहत किए गए व्यय को दिया जा सकता है। उच्च राजस्व घाटे के कारण राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक रहा।

1.4.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिए गए ऋण और अग्रिम, लोक लेखें से प्राप्तियां शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दायित्वों				परिसंपत्तियाँ			
	विवरण	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता	विवरण	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
1	आंतरिक ऋण	68,754.84	95,140.17	(+)38.37	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,25,727.20	1,41,142.72	(+)12.26
2	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	15,195.95	18,747.38[3]	(+)23.37	ऋण और अग्रिम	1,378.31	1,664.85	(+)20.79
3	आकस्मिकता निधि (कोर्पस)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	13.47	–
4	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	9,326.98	10,848.71	(+)16.31	अग्रिम	7.00	7.10	(+)1.42
5	जमा	6,146.92	6,405.35	(+)4.20	प्रेषण	298.66	351.50	(+)17.69
6	आरक्षित निधि	9,606.04	10,694.70	(+)11.33	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00
7	उचंत तथा विविध शेष	238.80	181.93	(–)23.81	रोकड़ शेष [4]	8,047.97	13,797.24	(+)71.43
8	प्रेषण	0.00	0.00	0.00				
9	व्यय की तुलना में प्राप्तियों की संचयी अधिकता	26,089.61	14,858.64	(+)43.05				
कुल (1 से 9)		**1,35,459.14**	**1,56,976.88**	**(+)15.89**	**कुल**	**1,35,459.14**	**1,56,976.88**	**(+)15.89**

स्रोत : वित्त लेखे

[3] इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में ₹8,074.15 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण शामिल है। इस ऋण का भुगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाएगा।

[4] निर्धारित निधि में निवेश सहित

1.5 राजकोषीय संतुलनः घाटे एवं कुल ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

घाटा सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। इसके अलावा, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और जुटाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वह इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति और परिमाण तथा इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके, तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (सीजीएफआरबीएम अधिनियम)/नियम/राजकोषीय नीति वक्तव्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

1.5.1 राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, राज्य शासन ने राजस्व घाटे के प्रगतिशील उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे (एमटीएफएफ) में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता सुनिश्चित करने के लिए सीजीएफआरबीएम अधिनियम, 2005 (सितंबर 2011, 2016 और मार्च 2021 में संशोधित) को लागू किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाना था। 2023–24 के दौरान, राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्रमशः जीएसडीपी का 3.30 प्रतिशत और 2.99 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जैसा कि बजट 2023–24 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में बताया गया था। 2023–24 के दौरान जीएसडीपी के 5.32 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा बजट/एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

बजट के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय अवयव तथा 2019–24 के दौरान उनकी उपलब्धियां **तालिका 1.4** में दी गई हैं।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2019–24[5]

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम /एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	राजस्व आधिक्य	(–)9,608.61	(–)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11	(–)11,232.76
			✘	✘	✔	✔	✘
2	राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2019–20 के लिए 5.00% 2020–21 के लिए 5.00% 2021–22 के लिए 4.56% 2022–23 के लिए 3.33% 2023–24 के लिए 2.99%	(–)17,969.38 (5.21%)	(–)15,822.38 (4.49%)	(–)6,093.10 (1.48%)	(–)4,691.21 (1.01%)	(–)26,933.03 (5.32%)
			✘	✔	✔	✔	✘

[5] जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देनदारी[6] का अनुपात (प्रतिशत में)	2019–20 के लिए 21.23% 2020–21 के लिए 21.59% 2021–22 के लिए 28.34% 2022–23 के लिए 26.41% 2023–24 के लिए 23.81%	22.84%	25.42%	22.19%	20.16%	24.93%
			✗	✗	✓	✓	✗

स्रोतः संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य 2023–24 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 2023–24 के दौरान, राज्य का राजस्व घाटा ₹11,232.76 करोड़ था, जबकि 2022–23 में राजस्व आधिक्य ₹8,592.11 करोड़ रुपये था। राजस्व घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों में ₹9,631.06 करोड़ (10.26 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद 2022–23 की तुलना में राजस्व व्यय में ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 15.64 प्रतिशत कम हुईं।

राज्य का राजकोषीय घाटा 2022–23 में ₹4,691.21 करोड़ से ₹22,241.82 करोड़ बढकर 2023–24 में ₹26,933.03 करोड़ हो गया, क्योंकि राज्य का राजस्व व्यय 2022–23 में ₹85,285.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023–24 में ₹1,14,740.96 करोड़ हो गया। हालाँकि, आरक्षित निधि में गैर–योगदान/गलत वर्गीकरण आदि के समायोजन के बाद वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹13,595.54 करोड़ और ₹27,877.47 करोड़ रहा होगा, जैसा कि **पैरा 1.7** में विस्तृत है। हालांकि 2019–20 और 2023–24 के अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान जीएसडीपी के लिए राजकोषीय घाटे का अनुपात एफआरबीएम/एमटीएफपीएस के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.32 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा बजट/एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

वर्ष 2023–24 के दौरान जीएसडीपी के लिए कुल बकाया देनदारियों का प्रतिशत (24.93 प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस (23.81 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, लेकिन 15 वे वित्त आयोग द्वारा अनुमानित जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सांकेतिक ऋण (30.8 प्रतिशत) के भीतर था। जीएसडीपी के लिए देनदारियों के प्रतिशत की गणना जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹8,074.15 करोड़ (वर्ष 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़ और 2020–21 में ₹3,109 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर की गई है।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5(3) के तहत, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे राज्य के उधार के रूप में ऐसी देनदारी को ऐसे रूप में प्रतिबिंबित करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एफआरबीएम नियम निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और अनुदान की मांग के समय सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक खुलासे करेगी। राज्य शासन ने 2023–24 के बजट दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म डी–2 "राज्य शासन की समग्र बकाया देनदारियों" में ₹4,121.33 करोड़ की ऑफ–बजट देनदारियों (₹7,292.94

[6] ऋण से जीएसडीपी अनुपात की गणना कुल बकाया ऋण से वर्ष 2020–21 के लिए ₹3,109 करोड़ और वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए ₹8074.15 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को बाहर करने के बाद की गई है।

करोड़ की ऑफ–बजट देनदारियों में से)[7] का खुलासा किया।हालाँकि, राज्य शासन ने 2024–25 के बजट दस्तावेज़ में वर्ष 2023–24 के लिए अपनी ऑफ–बजट देनदारियों की स्थिति का खुलासा नहीं किया।

1.5.2 घाटा/ आधिक्य की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा (*परिशिष्ट 1.2* में परिभाषित) ₹26,933.03 करोड़ था, जो जीएसडीपी (₹5,05,887 करोड़) का 5.32 प्रतिशत था और कुल व्यय (₹1,30,471.85 करोड़) का 20.64 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹11,232.76 करोड़ और ₹20,134.69 करोड़ था। 2019–20 से 2023–24 तक की पांच साल की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है और जीएसडीपी के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

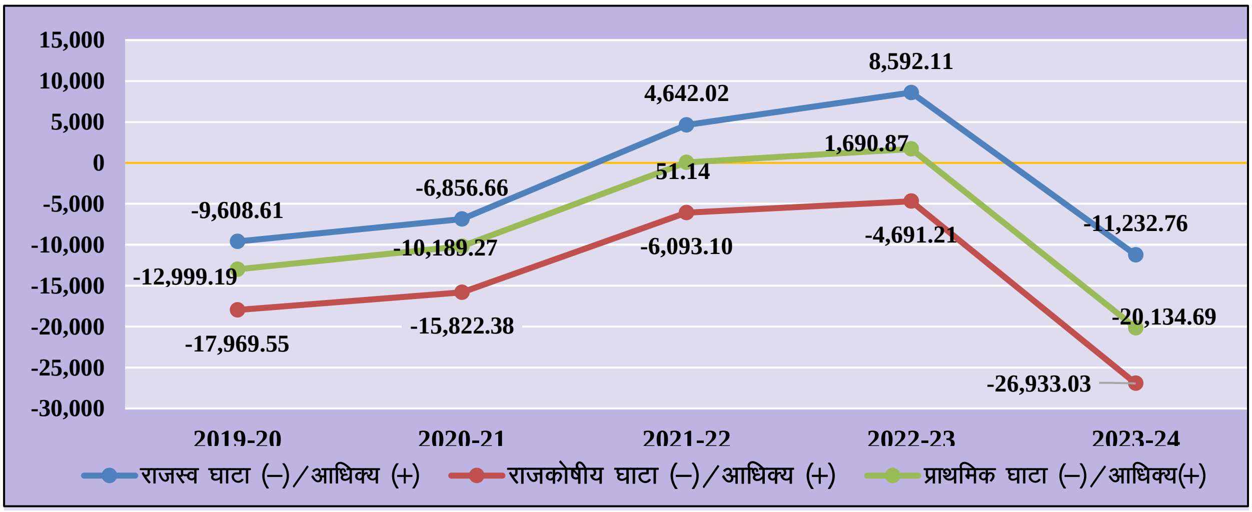

स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

चार्ट 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)

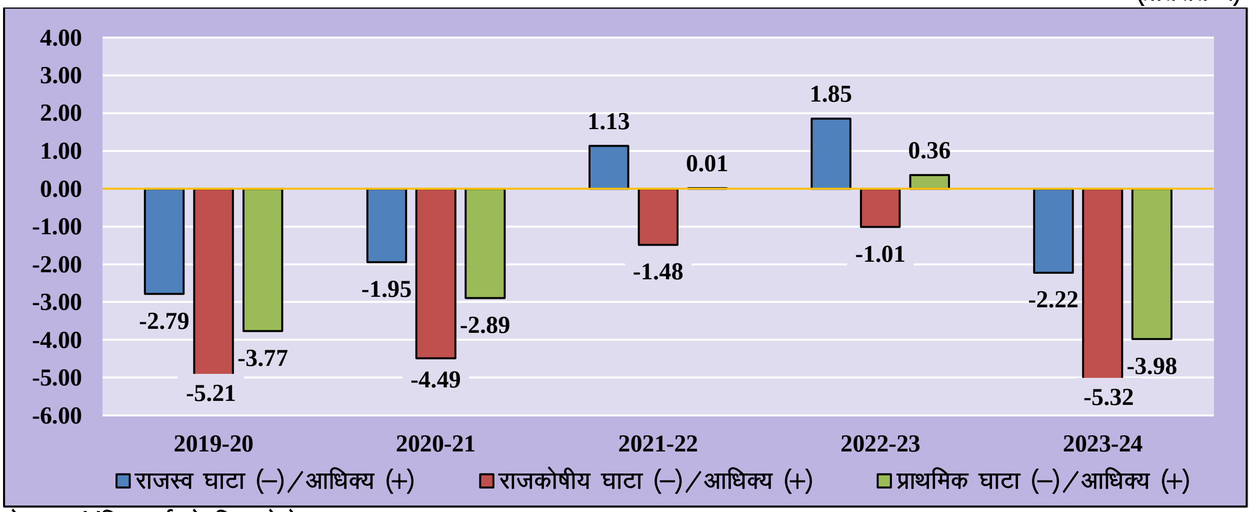

स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

[7] ₹7,292.94 करोड़ के निवल ऑफ–बजट उधारी की गणना, कुल ऑफ–बजट उधार (₹8,927.03 करोड़) में से मूलधन राशि (₹1,634.09 करोड़) की पुर्नभुगतान को घटाने के बाद की गई है।

राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस के अंतर्गत निर्धारित राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त नहीं किए जा सके।

1.6 राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(झ) और 243(म) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को हर पांच साल के बाद नियुक्त किया जाता है, जो राज्य शासन से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की अनुशंसा करता है, और स्थानीय निकायों के स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उपाय भी सुझाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000 में राज्य गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों का विवरण नीचे **तालिका 1.5** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.5: राज्य वित्त आयोग का गठन

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना है	वास्तव में गठित	अनुशंसा प्रस्तुत करने की तिथि	सरकार द्वारा स्वीकृति	पूर्ण अवधि	अनुशंसाओं की संख्या	
							एसएफसी द्वारा अनुशंसित	सरकार द्वारा स्वीकृत
1	प्रथम	2001–02	22.08.2003 / 14.07.2004	30.05.2007	जुलाई 2009	2007–12	81	41[8]
2	द्वितीय	2006–07	23.07.2011	31.03.2013	जुलाई 2013	2012–20	133	103
3	तृतीय	2011–12	20.01.2016	30.09.2018	अक्टूबर 2019	2020–25	58	37[9]
4	चतुर्थ	2016–17	29.07.2021	14.02.2024	—	2025–30	—	—

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरित करने में और देरी हुई।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश, स्वीकृत हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा 2019–20 से 2023–24 तक आवंटित और जारी किए गए वास्तविक बजट के संबंध में निधि प्रवाह का विवरण **तालिका 1.6** में दिखाया गया है।

तालिका 1.6: 2019–24 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए हस्तांतरण और वास्तविक बजट/व्यय की तुलना में एसएफसी अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिशत हस्तांतरण			राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट#			राज्य शासन द्वारा वास्तविक रिलीज		
		पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग
1	2019–20	(6.15)	(1.85)	(8.00)	756	321	1077	750	321	1071
2	2020–21	(6.91)	(2.09)	(9.00)	865	444	1309	606	442	1048
3	2021–22	(6.91)	(2.09)	(9.00)	858	451	1309	651	451	1102
4	2022–23	(6.91)	(2.09)	(9.00)	1644	423	2067	1209	423	1632
5	2023–24	(6.91)	(2.09)	(9.00)	1169	973	2142	1367	973	2339

(# पंचायतों/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता – एमएच 2217, 2515, 4217 और 4515 से नीचे एसएफसी की सिफारिश)

[8] राज्य शासन ने 41 सिफारिशों में से 36 को स्वीकार कर लिया, जबकि 5 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया।
[9] राज्य शासन ने 37 सिफारिशों में से 34 को स्वीकार कर लिया, जबकि 3 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया।

यूएलबी को जारी वास्तविक निधि 2019–24 के दौरान बजट आवंटन के अनुसार थी, सिवाय 2020–21 के, जहां मामूली गिरावट देखी गई। लेकिन पीआरआई को जारी वास्तविक निधि 2023–24 (₹1,169 करोड़ के आवंटित बजट के मुकाबले ₹1,366 करोड़ की वास्तविक रिलीज) को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित बजट से कम थी। 2023–24 के दौरान पीआरआई और यूएलबी को ₹2,142 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले राज्य शासन ने ₹2,339 करोड़ जारी किए।

1.7 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करने के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए विभिन्न मुद्दों का विवरण नीचे दिया गया है, जिनका राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

1.7.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा/ आधिक्य

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, कर्ज और गारंटी की अधिकतम सीमा आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए निर्धारित राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों जैसे राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने और बजट से इतर राजकोषीय परिचालनों के कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा, अनुदान, उपकर और ब्याज वाली आरक्षित निधियों पर ब्याज देनदारियों आदि के केंद्रीय हिस्से को संबंधित निधि में हस्तांतरित न करने जैसे कुछ मुद्दे भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को क्रमशः ₹2,399.28 करोड़ और ₹38.03 करोड़ कम दिखाया गया और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को क्रमशः ₹38.03 करोड़ और ₹1,456.37 करोड़ अधिक दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए राजस्व प्राप्तियों को ₹1.53 करोड़ अधिक दर्शाया गया, जिसे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है तथा उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का आकलन **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7 : लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व प्राप्ति और व्यय पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	पैरा संदर्भ	राजस्व व्यय की अत्योक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय की अत्योक्ति	पूंजीगत व्यय की न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति की अत्योक्ति	राजस्व प्राप्ति की न्यूनोक्ति
1	राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण	3.5.1 और 4.10	38.03	1,456.37	1,456.37	38.03	––	––
2	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियां	2.4.2.3	––	1.89	––	––	––	––
3	राज्य आपदा राहत निधि पर ब्याज देयताएं	2.5.2.2 (अ)	––	46.14	––	––	––	––
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज देयताएं	2.5.2.2 (ब)	––	28.53	––	––	––	––

5	वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा एकल नोडल एजेंसी को दी जाने वाली धनराशि के अव्ययित शेष के केंद्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज	2.3.2.3 (ब)	––	––	––	––	––	––
	2023–24		––	––	––	––	1.53	––
6	ट्रस्टी बैंक को सरकारी अंशदान का अल्पकालीन हस्तांतरण	2.4.2.3	––	1.32	––	––	––	––
7	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में केंद्रीय सहायता अनुदान का हिस्सा हस्तांतरित न किया जाना	2.5.2.2 (ब)	––	90.80	––	––	––	––
8	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में राज्य सहायता अनुदान का हिस्सा हस्तांतरित न किया जाना	2.5.2.2 (ब)	––	30.27	––	––	––	––
9	खनिज विकास निधि में कम अंतरण	2.5.2.5 (स)	––	247.07	––	––	––	––
10	छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि में कम अंशदान	2.5.2.5 (द)	––	111.07	––	––	––	––
11	केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के अनुदान–सहायता का हस्तांतरण न होना	2.5.2.5 (य)	––	210.16	––	––	––	––
12	अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर का अल्प हस्तांतरण	2.5.2.5 (अ और ब)	––	175.66	––	––	––	––
योग			**38.03**	**2,399.28**	**1,456.37**	**38.03**	**1.53**	**0.00**

स्रोत : वित्त लेखे 2023–24

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विशेष**	**वित्त लेखा के अनुसार**	**अत्योक्ति (+)/ न्यूनोक्ति (–) द्वारा**	**वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा**
1	राजस्व आधिक्य	11,232.76	2,362.78	13,595.54
2	राजकोषीय घाटा	26,933.03	944.44	27,877.47

स्रोत : वित्त लेखे 2023–24

1.7.2 लेखा परीक्षा के बाद–कुल ऋण/दायित्व

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017–24 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने सात सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ₹8,927.03 करोड़ रुपये के ऑफ–बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से इन ऑफ–बजट उधारों पर ब्याज की अदायगी के अलावा ₹1,634.09 करोड़ रुपये के मूलधन का पुनर्भुगतान किया है। इस मुद्दे पर रिपोर्ट के **पैरा 4.13** में विस्तार

से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए, ऑफ–बजट उधार को कुल देनदारियों में जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने राज्य को 2020–21 में ₹3,109 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़ (कुल ₹8,074.15 करोड़) की राशि के बैक–टू–बैक ऋण जारी किए। इस बैक–टू–बैक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक शुद्ध उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण सेवा जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व पूरा नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में प्राप्त बैक–टू–बैक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ–बजट उधार और बैक–टू–बैक ऋण के कारण, कुल ऋण/देनदारियों में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वृद्धि/कमी हुई है जैसा कि **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.सं.	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2024 को लेखो के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	1,34,179.36	26.52
2.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैक टू बैक एक ऋण (ब)	8,074.15	1.60
3.	बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर कुल देनदारियां (स) = (अ) – (ब)	1,26,105.21	24.93
4.	31.03.2024 को निवल ऑफ–बजट देनदारियां (₹8,927.03 – ₹1,634.09) (द)	7,292.94	1.44
कुल देयताए (स)+(द)		**1,33,398.15**	**26.37**

स्रोत : वित्त लेखे 2023–24

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बैक टू बैक ऋण और ऑफ–बजट देनदारियों को समायोजित करने के बाद ऋण–जीएसडीपी अनुपात 26.52 प्रतिशत से घटकर 26.37 प्रतिशत हो गया।